

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 154 / 15-1 दिनांक, झांसी, जुलाई 1/ 2017

सेवा में,

श्री प्रदीप यादव,

वरिष्ठ प्रबन्धक गेल इण्डिया लि०

परियोजना कार्यालय आर०सी०एफ० बिल्डिंग

TC/10 V विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

Phone/Fax No. - (0510) 2370037

E-mail - dfojhansi@gmail.com

Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषय:- गेल इण्डिया लि० गैस पाइप लाइन डालने की अनुमति ।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-1659/11 सी कानपुर जोन, दिनांक 06.02.2016 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-3385/15-1, दि० 03.05.2017, 697टी०सी०/15-1, दि० 09.05.2017, 3752/15-1, दि० 18.05.2017, 3965/15-1, दिनांक 02.06.2017, 4147/15-1, दिनांक 16.06.2017 एवं 771टी०सी०/15-1, दिनांक 05.07.2017

आपने अपने पत्र दिनांक 02.02.2016 से नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराया गया कि आप द्वारा झांसी वन प्रभाग में लकारा की 1.49 एकड़ आरक्षित वनभूमि में गैस पाइप लाइन डालने की अनुमति भारत सरकार के पत्रांक 8-412/86 एफ०सी०, दिनांक 22.05.1986 द्वारा प्राप्त की गयी थी। उक्त पूर्व ROW के अन्तर्गत आप द्वारा पुनः गैस पाइप लाइन डालने के अनुरोध के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-1659/11 सी कानपुर जोन, दिनांक 06.02.2016 द्वारा इस वन प्रभाग से तीन बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी थी जो इस कार्यालय के पत्रांक-3965/15-1, दिनांक 02.06.2017 द्वारा प्रेषित की गई एवं जिसकी प्रति आपको भी की गयी थी। इस कार्यालय की जांच आख्या के अनुसार उक्त पूर्व ROW में पुनः गैस पाइप लाइन डालने से विभिन्न प्रजातियों के 581 वृक्ष प्रभावित होंगे। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में कोई भी दिशा निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुए। जिसके सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया गया है। परन्तु आप द्वारा उक्त बिन्दु का निराकरण न करके प्रस्ताव को पुनः ऑनलाइन प्रेषित कर दिया गया है, जो उचित नहीं है।

उक्त पूर्व में हस्तान्तरित वनभूमि तथा उस पर खड़े 581 वृक्षों के निस्तारण के सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव है। अतः आप व्यक्तिगत रूप से सक्षम स्तर से सम्पर्क कर प्रकरण को निस्तारित कराये जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 154 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, उ०प्र० लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी